न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 88 / 2022

1 सूरताराम पुत्र हरफुलराम जाति मेघवाल निवासी दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार भमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 15.03.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ मु. उनवानी सरकार बनाम सूरताराम मुकदमा नम्बर 78 / 2021 अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 6-11-23

यह अपील विंचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 78/2021 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1509/1204 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1511/1204 रकबा 0.18 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम सुरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत तहसीलदार सूरजगढ़ ने उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुंझुनू के न्यायालय में धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 का वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.03.2022 को आलौच्य निर्णय पारित कर स्वीकार कर लिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित करने में प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्त की पालना नही की। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.09.2021 को दर्ज हुआ है तथा अपीलांट की तलबी हेतु प्रथम तारीख पेशी दिनांक 30. 09.2021 नियत की है। दिनांक 30.09.2021 को आदेशिका में विचारण न्यायालय ने लिखा है कि राजस्व सेवा परिषद संघ द्वारा कार्य बहिस्कार होने के कारण व्यक्तिगत रूप से तामील करवाया जाना सम्भव नही है इसलिए तहसील नोटिस बोर्ड पंचायत समिति बोर्ड एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड तथा नगरपालिका नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीना पत्र स्वीकार कर समस्त नोटिस बोर्डो पर चस्पानगी से तामील करवाये जाने के आदेश दिये तथा दिनांक 28.10.2021 की आदेशिका में लिखा है कि सरकारी पैरोकार ने उपरोक्त नोटिस बोर्डो पर तामील चस्पान्दगी की रिपोर्ट पेश की तामील पर्याप्त है परन्तु प्राकृतिक न्याय के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

सिद्वान्त के अनुरूप पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24.11.2021 पेश हो एवं दिनांक 20.12.2021 को अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 15.03.2022 को आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की तामील को तरीका अपनाया है। वह सिविल प्रकिया संहिता के मुताबिक कानून नही है। नोटिस बोर्ड पर तामील प्रकिया के बाबत सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 मे कोई प्रावधान नही हैं। विचारण न्यायालय में विधिक की पालना नही की गई है। विवादित भूमि के अकृषि उपयोग का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही थी। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। धारा 5 का आवेदन एवं अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील मियाद बाहर है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 177 में प्रार्थी तहसीलदार सुरजगढ़ के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ की मोहर लगी हुई है एवं हस्ताक्षर है। इसी प्रकार दावे के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में शपथकर्ता का नाम मागेराम तहसीलदार सूरजगढ़ अंकित है जबकि हस्ताक्षर में उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ की मोहर लगी हुई है। इस प्रकरण में अपीलांट की तामील भी सम्यक नही पाई जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अपील अधिकारी

विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.09.2021 को दर्ज हुआ है तथा अपीलांट की तलबी हेतु प्रथम तारीख पेशी दिनांक 30.09.2021 नियत की है। दिनांक 30.09.2021 को आदेशिका में विचारण न्यायालय ने लिखा है कि राजस्व सेवा परिषद संघ द्वारा कार्य बहिस्कार होने के कारण व्यक्तिगत रूप से तामील करवाया जाना सम्भव नही है इसलिए तहसील नोटिस बोर्ड पंचायत समिति बोर्ड एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड तथा नगरपालिका नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीना पत्र स्वीकार कर समस्त नोटिस बोर्डो पर चस्पानगी से तामील करवाये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की तामील को तरीका अपनाया है। वह सिविल प्रकिया संहिता के मुताबिक कानून नही है। नोटिस बोर्ड पर तामील प्रकिया के बाबत सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 मे कोई प्रावधान नही हैं। विचारण न्यायालय में विधिक की पालना नही की गई है। विवादित भूमि के अकृषि उपयोग का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय, वाद की कार्यवाही को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6/11-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर